

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/ 239/2024

दिनांक- 01/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार काछोला:

विषय:- प्र.सं. 239 / 2024 अनवान छीतर पिता उगमा गुर्जर निवासी पदमपुरा, जेराज पिता उगमा गुर्जर निवासी पदमपुरा, भेरू पिता उगमा गुर्जर निवासी पदमपुरा, रामकिशन पिता छीतर गुर्जर निवासी पदमपुरा, रामलाल पिता उगमा गुर्जर निवासी पदमपुरा, करण पिता सोजी गुर्जर निवासी पदमपुरा, सांवरा पिता सोजी गुर्जर निवासी पदमपुरा, राधा पत्नी सोजी गुर्जर निवासी पदमपुरा, बनाम जयलाल पिता हजारी गुर्जर निवासी पदमपुरा, छाऊ पत्नी कल्याण गुर्जर निवासी पदमपुरा, प्रताप सिंह पिता तेजसिंह राजपुत निवासी पदमपुरा, नंदू पत्नी बट्टी लाल गुर्जर निवासी पदमपुरा, कल्याण पिता कजोड़ गुर्जर निवासी पदमपुरा, मांगीलाल पिता कजोड़ गुर्जर निवासी पदमपुरा, मगना पिता कजोड़ गुर्जर निवासी पदमपुरा, लादू पुत्र कजोड़ गुर्जर निवासी पदमपुरा, लाडू पत्नी गोपाल गुर्जर निवासी पदमपुरा, तहसीलदार काछोला वगैरह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम राजगढ़ प.ह. राजगढ़ आराजी सं. 119/1, 119/2, 122, 124, 128/1, 460/123, 462/129 कुल कित्ता 07 रकबा 2.9947 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक काछोला को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 400 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

छीतर पिता उगमा गुर्जर निवासी पदमपुरा वगैरह

बनाम

जयलाल पिता हजारी गुर्जर निवासी पदमपुरा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 239/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जी हुकम की सामील में जारी हुये
01-05-24	<p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम राजगढ़ प.ह. राजगढ़ आराजी सं. 119/1, 119/2, 122, 124, 128/1, 460/123, 462/129 कुल किता 07 रकबा 2.9947 हेक्टेयर भूमि स्थित है अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है ग्राम राजगढ़ प.ह. राजगढ़ आराजी सं. 119/1, 119/2, 122, 124, 128/1, 460/123, 462/129 कुल किता 07 रकबा 2.9947 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक काछोला को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कमीश्नर फीस 2000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 400 रुपये राजकोष में जमा करावे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें पालना हेतु तहसीलदार काछोला को लिखा जावें तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें </p> <p>आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया </p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)